प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **28-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1.गाली-गलौज व मारपीट करते हुये चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना नागफनीः-

अवगत कराना है दिनांक 28.08.2025 को वादिनी निवासी थाना नागफनी क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी की बहन व भाई तथा पडोसी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व वादिनी के भाई व पडोसी को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना नागफनी पर मु0अ0सं0- 166/25 धारा-115(2),352,351 (2),109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त मुकदमा उपरोक्त मे धारा-118(1) bns की वृद्धि करते हुये, आज दिनांक 28.08.2025 को उ0नि0 श्री विष्णु कुमार थाना नागफनी ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी विकास पुत्र अशोक निवासी कालिका मन्दिर श्री निवास पुरी प्राइवेट कालोनी दिल्ली हाल निवासी विष्णुपुरी थाना नागफनी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

विकास पुत्र अशोक निवासी कालिका मन्दिर श्री निवास पुरी प्राइवेट कालोनी दिल्ली हाल निवासी विष्णुपुरी थाना नागफनी, मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री विष्णु कुमार थाना नागफनी,मुरादाबाद।
का0 भानू प्रताप थाना नागफनी,मुरादाबाद।

2-जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 09 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा 09 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

विवरण वारंटीः-

थाना ठाकुरद्वारा-

मौ0 आसिम पुत्र शौकत हुसैन निवासी मछली बाजार कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0- 95/2022 अ0स0 552/21 धारा– 380, 411 भादवि

थाना भगतपुर-

विनोद कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रपाल सिंह नि0 पदियानंगला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित एसटी न0 422/18 अ0सं0 59/10 धारा 363/494 भादवि

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना कटघर-03,थाना भगतपुर-02,थाना डिलारी-02,थाना ठाकुरद्वारा-02

3-साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट के माध्यम से IPL व भारतीय क्रिकेट टीम में ट्रायल दिलाने के नाम पर विभिन्न राज्यो के लोगो के साथ ऑनलाइन साइबर धोखाधडी करने वाले 01 आरोपी को गिरफ्तार कर, कब्जे से 07 मोबाइल, 03 पास बुक, 07 चैक बुक, 15 एटीएम कार्ड, 16 सिमकार्ड, 43,500/- रुपए बरामद किये गये ।

अवगत कराना है कि दिनांक 27-08-2025 को आवेदक द्वारा थाना साइबर क्राइम पर शिकायत अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट देखकर जिसमें नेशनल क्रिकेट कैम्प व इंडिया व आईपीएल कैम्प 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फॉर ऑल एज ग्रुप लिखा था, के प्रोफाइल में व्हाटसएप बटन पर टेप करके मो0 न0 8979287118 से व्हाटसएप चैट करना व मो0 न0 8979287118 धारक के द्वारा आवेदक से ट्रायल फीस व किट के नाम पर 1680/- रु0 ट्रांसफर कराकर साइबर धोखाधडी करने व फर्जी आई डी बनाकर भेजने के सम्बन्ध में दर्ज करायी गयी । इस संबंध में थाना साइबर क्राईम मुरादाबाद पर मु0अ0सं0-015/2025 धारा-318(4), 336(2) बी.एन.एस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों व साइबर अपराध से संबंधित घटनाओ के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु, पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद मुरादाबाद के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के क्रम में वादी ने जिस QR कोड पर अज्ञात अभियुक्त को रुपये ट्रांसफर किए थे उस यूपीआई आईडी में दिख रहा मो0 न0 9927528098 को <u>**प्रतिबिंब ऐप**</u> पर चेक किया गया तो उक्त मो0न0 9927528098 व इसके भिन्न-भिन्न मोबाइल नम्बर व बैंक खातो पर NCRP पोर्टल पर इसके खिलाफ अलग-अलग 15 राज्यो में 38 शिकायत पंजीकृत मिली । उक्त क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को थाना साइबर क्राइम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त में

अभियुक्त समीर खान पुत्र अलीम खान निवासी आयशा मस्जिद के पास, आजाद नगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 07 मोबाइल, 03 पास बुक, 07 चैक बुक, 15 एटीएम कार्ड, 16 सिमकार्ड, 43,500/- रुपए बरामद किये गये, प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-015/2025 धारा- 318(4), 336(2) बी.एन.एस व 66 डी आईटी एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

समीर खान पुत्र अलीम खान निवासी आयशा मस्जिद के पास, आजाद नगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी :-

1- अपराध में प्रयुक्त 07 अदद मोबाइल
2- 03 पास बुक
3- 07 चैक बुक
4- 15 एटीएम कार्ड
5- 16 सिमकार्ड
6- 43,500/- रु0 ।

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ पर बताया कि वह लाकडाउन में बेरोजगार हो गया था तो वह इंस्टाग्राम पर क्रिकेट अकेडमी मे ट्रायल के ऐड देने लगा उसके बाद जो भी ऑनलाइन समीर खान के संपर्क मे आता वह उसे IPL व भारतीय क्रिकेट टीम में ट्रायल दिलाने के नाम पर बातों में फंसाता था तथा उस व्यक्ति से व्हाटसएप नंबर से जुडकर चैट करता था और वह उन लोगो से रजिस्ट्रेशन फीस व किट बैग, होटल में ठहरने के नाम पर पैसे ठगता था, वह उन लोगो को क्यूआर कोड सेंड कर अपने बैंक खाते मे रुपए ट्रान्सफर करा लेता था वह वर्ष 2022 से लगातार भिन्न भिन्न सिम कार्ड और बैंक खातो का प्रयोग कर ये काम कर रहा है।

गिरफ्तार / बरामदगी करने वाली टीम :-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद
2- प्रभारी निरीक्षक श्री विवेक शर्मा साइबर सेल, मुरादाबाद
3- उ0नि0 अब्दुल बसित मालिक थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद
4- उ0नि0 शिवम तायल थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद
5- मुख्य आरक्षी प्रशान्त कुमार थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद
6- मुख्य आरक्षी अश्वनी राणा थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद
7- आरक्षी विवेक कुमार थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद
8- आरक्षी मोहित थाना साइबर क्राईम, मुरादाबाद।